राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

कमांक :–एफ.11(118)/आर.सी.एच./भण्डार/आई.पी.कैमरे/2015/ 440 दिनांक :– 16-09-15

जिला चिकित्सालय में स्थापित एस.एन.सी.यू. की मॉनीटिरिंग हेतु आई.पी.कैमरे क्रय करने हेतु निविदा सूचना

विभिन्न जिलों में स्थापित एस.एन.सी.यू. की मॉनीटिरिंग हेतु प्रति यूनिट तीन आईपी.कैमरे. मय एक रिकॉर्डर एवं 50 मीटर कैबल सहित कुल 36 यूनिट के लिए क्रय करने हेतु निविदाऐं दोहरा लिफाफे पद्वति के तहत सिलबन्द लिफाफें में आमंत्रित की जाती है। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होंगी। निविदा प्रपत्र, शर्ते एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में दिनांक. 22.09.2015 से 07.10.2015 तक रू0 500/– प्रति निविदा/प्रपत्र हेतु राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी जयपुर के पक्ष में बैंकर चैक/डी0डी/नकद जमा कराकर **द्वितीय तल स्वास्थ्य भवन** कमरा न0 239 में प्राप्त किये जा सकते है। निविदाऐं दिनांक 09.10.2015 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दिनांक 09.10.2015 को सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

क्रं. सं.	उपकरण का नाम मय मात्रा एवं दर	Technical Specifications (With reference to BIS Code, Patent, ISO, Agmark, Part No. etc.)		धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि
1	108 आईपी.कैमरे. 36 रिकॉर्डर एवं अनुमानित 1800 मीटर कैबल का क्रय (तीन आईपी. कैमरे. मय एक रिकॉर्डर एवं अनुमानित 50 मीटर कैबल प्रति यूनिट – 36 यूनिट हेतु)	VGA	1080 P (1920X1080)/960 P	21600.00	07.10.2015 तक कार्यालय समय में।
		Video	8X(1920X1080),1CHplayback/8X (1280X720)		
		Audio	1Ch RCA output		
		Playback	8CH x 1080 P		
		HDD Capacity	Upto 4 TB,SATA Interface HDD*1		
		Image Sensor	1.3 Megapixel 1/3" Aptina 130 CMOS		
		Lens Mount	3.6 Megapixel Lens		
		Minimum Illumination	0.5Lux; 0 lux with IR on		
		Image Output	Main strem: 1280X960@ 1-25fps sub stream: 640x360@ 1-25 fps		
		IR/Distance	24PCS 5mm IR LEDs/20 mtr		

इच्छुक निविदादाता उक्त तिथियों के अनुसार अपना निविदा प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्त निविदा सूचना, तथा निविदा की शर्ते, स्पेसिफिकेशन, आदि से संबंधित अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट www.rajswasthaya.nic.in एवं SPPP पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

निदेशक (आर.सी.एच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर।

कमांक :–एफ.11(118)/आर.सी.एच./भण्डार/आई.पी.कैमरे/2015/ 440 दिनांक :– 16-09-15
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य।
2. नोटिस बोर्ड ।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट एव SPPP पोर्टल पर पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

निदेशक (आर.सी.एच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राज0 जयपुर।

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health & Family Welfare, Raj- Jaipur

Technical Bid

Details of Bidder

Notice No.................

Bid security:- 21,600/-

1.	Name of the Firm		
2.	Telephone No.	(Off.)________	(Fax.)________
3.	Mobile No. E mail ID		
4.	Office Address of the Firm		
5.	Constitution of the Firm whetherProprietorship /Partnership/Company		
(a)	**In case of Proprietorship Firm**		
	Name, Father's Name and Residential address of the Proprietor.		
(b)	**In case of Partnership Firm**		
	Name, Father's Name and Residential address of all the partners. ________________________- ____ Note: (Enclose the Registration certificate of Firms or its attested copy/photocopy of Partnership Deed (attach separate sheet if space is insufficient).		
(c)	In case of Company		
(i)	Regd. No. of the Company		
(ii)	Name and address of the Directors of the company (Attach separate sheet if space is insufficient)		

निदेशक ...

...

राज., ...

6	**BANK DETAILS OF BIDDER** Banker's name with branch Account type Account number		
7	PAN No. of the Bidder __________________ (Enclose a certified copy of the same)		
8	Service Tax No. of the bidder, if applicable. (Enclose a certified copy of the same)		
9	Bid security of RS. 21,600/- Deposited vide CR No.__________ dated____________ Pay order No._________ _dated_____ drawn on _________________. (Name of Bank & branch)		
	*(To be filled by the Office)		
	Signature of the bidder with seal		
	Name: ----------------------------		
	Designation ----------------------		

* Attached Bid Security Bidders Cheque, D.D./Challan of Cash Reciept with Tech. Tender Bid.

*Attach separate sheet for details, where required.

*In case of authorized representative signing this document enclose copy of the authority letter.

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.क. सेवायें
राज., जयपुर

कार्य की अनुमानित लागत 10.80,000 लाख रूपये
निविदां बेचने की अंतिम तिथि 07.10.2015 को कार्यालय समय तक
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथी 09.10.2015 1.00 PM तक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें
स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

जिला चिकित्सालय में स्थापित एस.एन.सी.यू. की मॉनीटिरिंग हेतु आई.पी.कैमरे मय रिकॉर्डर एवं केबल क्रय करने हेत निविदा प्रस्ताव (वर्ष 2015-16) एवं अनुबंध की शर्ते

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Pubilc procurement Act, 2012"[hereinfafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules will prevail.

निविदादाता को निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तो को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक (आर.सी.एच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिय।

1. निविदा, निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द कर पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित राशि डी.डी/बैंकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे निदेशक (आर.सी.एच) चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें स्वास्थ्य भवन राजस्थान जयपुर के पत्ते पर दिनांक 09.10.2015 को 1.00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकेंगे। निर्धारिंत समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2. **निविदादाता द्वारा निविदा दों रूपों में यथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफो पर क्रमशः तकनीकी निविदा एव वित्तीय निविदा अंकित करे तथा दोनो बन्द लिफोफो को एक बडे लिफाफे में सीलबन्द कर जमा कराने होंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।**

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.र. सेवायें
राज., जयपुर

3. **तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ निविदा प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है रखे जायेगे। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होगे। यदि किसीं निविदादाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफे में दिया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।**

4. प्राप्त निविदाओं को दिनांक 09.10..2015 को सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित समय में कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगीं।

(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बीड खोली जायेगी।
(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बीडर की ही वित्तीय बीड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बीड में सफल निविदादाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होगे।

5. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सील से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धो एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंको के साथ साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
7. निविदा माल आपूर्ति हेतु पंजीकृत एकल स्वामित्व, फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिये, इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. तकनीकी निविदा के साथ निम्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत किये जाने चाहियें
I निविदाता के समपूर्ण जानकारी प्रपत्र (Detail of bider)
II. III वैट क्लीयरेन्स प्रमाण–पत्र व पैन कार्ड प्रति
III निविदादाता/फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
IV Bid Secuirty राशि का विवरण
V Technical undertaking
VI Annexure-A (Declaration by bidder regarding qualifications)
VII Annexure-B (Statement of Past supplies & performance)
VIII Annexure-C (Afficavit regarding acceptance of Bid terms & conditions)
IX Financial undertaking

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.र. सेवायें
राज., जयपुर

(i)

TECHNICAL SPECIFICATION OF I.P. Cameras

ITEM	DESCRIPTION
	NVR
VGA	1080 P (1920X1080)/ 960 P/ (1280X960)/ 720P (1280*720)
Control Mode	Front Panel, USB mouse, IR remote control, Keyboard, Network
Performance	8CH X 108 P
Pentaplex	Live Recording, Playback, Backup, Remote Access, PTZ Control, Mobile monitoring
Video	8X(1920X1080), 1 CHplayback/ 8X(1280X720), 4 CHplayback/ 16X(704X576), 4 CHplayback input, 1ch VGA+ 1ch HDMI + 1Ch BNC Output
Audio	1 Ch RCA output
Playback	8 CH X 1080 P
Digital Zoom	Yes
Protocols	Suporrt Onvif protocol
Mobile Phones	Support OS and Android mobile phones
HDD Capacity	Upto 4 TB, SATA Interface HDD*1
Network Interface	1* RJ45, 100 mbps Ethernet
Upgrade/ Backup	USB DISK, Network
USB	2 USB 2.0 Ports
Power Supply	12v/3A
Frame Rate Display	1080P(1920X1080)30fps/960P/(1280X960)/720P(1280X720)30fps
	IMAGE SENSOR
Image Sensor	1.3 Megapixel 1/3" Aptina 130CMOS
Lens Mount	3.6 Megapixel Lens
Minimum illumination	0.5lux; 0 lux with IR on
Streams	128-4096 kbps
Video Compression	H.264 video compression, support dual stream
Frame Rate	1.3 Megapixel@25 FPS
Image Output	main stream:1280X960@ 1-25 fps sub stream: 640X360@1-25 fps
White Balance	Auto
ONVIF	Yes
Network Interface	1 RJ 45 Ethernet Interface
Network Function	Free Client Software
IR/Distance	24 PCS 5mm IR LEDs/20 mtr
Working condition	0-45 degree C(32F-133 F), 10%-90%PH
Power Supply	12VDC/2A
Warratny	Three Years
Installation	Cameras Installed in exterior locations
Secutiry	Minimum security standards must be followed

निदेशक, (आर.सी.एच.)
[illegible]

10. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्यके साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक को साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पावर आफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझोदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म मे कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी/ सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जावेगी।प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

11. निविदा दाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

12. दरें अनुबन्ध की तिथी से तीन माह के लिए मान्य होगी। ये दरें संलग्न सूची अनुसार निर्धारित साईट एस.एन.सी.यू. संस्था पर माल पहुँचाना व इंस्टॉलेशन सहित **एफ.ओ.बी.** एस.एन.सी.यू यूनिट होगी। दरों में स्थानीय एवं गन्तव्य स्थान का स्थानीय भाड़ा, ठेला भाड़ा, सरचार्ज एवं अन्य समस्त व्यय कर/टोल टैक्स आदि कोई हो, सभी सम्मिलित करके दरें दी जावे। निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किये जावेगा।

13. **"वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाऐं"**:– निविदाएँ मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगें।

14. **वारंटी/गारांटी खण्ड** :– निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/सामान/वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से दो वर्षो तक की अवधि तक तथा विनिदिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि दो वर्षो तक की उक्त अवधि में, उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/साभानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया जाए, रद् करने का हकदार होगा। ऐसे रद् किये जाने पर माल/सामान/वस्तुएँ विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद् करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद् कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी, उक्त शर्तों में उल्लेखित किए गए अनुसार गांरटी दी जाएगी ताकि निविदादाता गांरटीकृत अवधि में पुर्जो, यदि हों, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता है।

(आ...प.)
चिकि. स्वा.एवं प.क. सेवाएँ
...

क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें में निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करनें के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित सुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्प्रेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

15. प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा। कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो वा विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिदेशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

16. **Mode fo Payment** :– (I) निविदादाता द्वारा माल की आपूति व उसका इंस्टालेशन उल्लेखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार अच्छी हालत में, संलग्न सूची अनुसार निर्धारित एसएनसीयू संस्था में किया जायेगा।
   (II) निविदादाता द्वारा आई.पी. कैमरे कार्यकारी अवस्था में स्थापित होने के पश्चात् तथा संबंधित संस्था से निरीक्षण व इंस्टालेशन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
   (III) भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
   (IV) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा। तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

17. **माल की सुपुर्दगी मय इंस्टालेशन अवधि** :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार कि जायेगी, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश जारी करने की तारीख से 70 दिवस की अवधि के भीतर सामान का प्रदाय एवं इंस्टालेशन करने की व्यवस्था करेगा। अन्यथा सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों अनुसार निर्धारित Liquidated damages वसूलनीय होगी।

18. **बोली प्रतिभूति (Bid Security}**:–

(1) दर संविदा, के मामले में बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी

(2) बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।

(3) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकि. ...
... जयपुर

19. बोली प्रतिभूति का समपहृत (Forfeiture of Bid Security)

(1) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् :–

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है ;

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ;

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ;

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

(2) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

20. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of bids):–

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, की बोली कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

21. परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages):– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है:–

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए; 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए। 10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करने समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्वि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने

निदेशक (आर सी एच)
चिकि. स्वा.एवं प.र. सेवाएं
राज., जयपुर

प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुन्रत उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) क्रेता अधिकारी परिनिर्धारित नुकसानी के साथ या परिनिर्धारति नुकसानी के बिना परिदान अवधि में वृद्वि ऐसे मामलें में कर सकेगा जिसमें वह इससे सन्तुष्ट हो जाये की माल के प्रदाय में विलम्ब उन बाधाओं के कारण हुआ है। इन कारणों को अभिलिखित किया जायेगा।

टिप्पणी:— प्रदाय करने में विलम्ब की अवधि को गिनने में दिन के अंश भाग को यदि वह आधे दिन से कम का है तो छोड दिया जायेगा।

22. विभाग के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

23. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

24. यदि निविदाकार आपूर्ति के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर कार्य सम्पन्न कराया जावेगा। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

25. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह मे नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरंत कर ली जावेगी। तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरंत राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

26. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जावेगा। निविददाता के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

27. विवाद की स्थिति में निदेशक (आर.सी.एच.) का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

28. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पडे तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेशन के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्कयता पडे तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयो में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं।

29. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जावेगा तथा शर्ते उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्त एंव लेखा नियम एवं RTPP ACT-2013 के Rules के प्रावधान के अनुसार लागू होगी।

निदेशक, (आर.सी.एच.)
राज., जयपुर

30. बोलीदाता द्वारा पैन कार्ड की छाया प्रति एवं सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा से साथ पेश की जावेगी।

31. **बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and Modification of bids):–** बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन याउपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेऔर इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से"प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण"अंकित हो ; और

(ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिमसमय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्तकरने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डालदिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है,बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरणबोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहींकिया जायेगा।

32. **वित्तीय बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids)** :– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी,:–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावीहोगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभादी होगी।

33. **राजस्थान की और बाहर की फर्मों की दरों की तुलना** :– उन फर्मों की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान की फर्मों द्वारा कोट की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मों की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा।

34- **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार:–** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को

चिकि. स्वा.एवं पं.व. सेवाएं
राज., जयपुर

35. अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

36. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity):–

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने केपश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी –

(क) संकर्मों की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

37. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award):– सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

38. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security):– सफल बोली लगाने वालों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

चिकि. स्वा.एवं [illegible]
राज., जयपुर

(1) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
(2) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

39. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Performance Security):– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहन किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

40. करार का निष्पादन (Execution of agreement):–

(1) सफल बोली लगाने वाले, को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है।

(2) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(3) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर, रू. 1000/–मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

41. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity):– उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,
(1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा;
(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो;
(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

निदेशक (आर.पी.एस.)
राज.

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा;
(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा;
(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;
(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;
(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

42. हित का विरोध **(Conflict of interest)**:–

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमे निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है;

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है ;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

43. **बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग**:– अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3)और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्रवाई कर सकेगी।

44. अपील का प्रारूप:–

(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा ग्रुप–(2) विभाग होगें तथा द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग होगें।

45. अपील फाइल करने के लिए फीस:–

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

46. अपील के निपटारे की प्रक्रिया:–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वास्थ्य एवं सेवाएँ
राज., जयपुर
सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर,
दिनांक व पूर्ण पता मोहर

प्रारूप सं. 1
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं. ....

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी) .... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां :
   (i) अपीलार्थी का नाम :
   (ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो :
   (iii) आवासिक पता :
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियो) का नाम और पता :
   (i)
   (ii) .
   (iii)

3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपिसंलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसीविनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है :

4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या :

6. अपील का आधार :
....
....
.... (शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना : ....
....

स्थान : ....
तारीख : ....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चि.चि. स्वा.एवं प.क. सेवाएं
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditios of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the Supply of I.P Cameras at the rate quoted by me/us at the destinations specified by department.

I/We wil assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc. and the instructions issued by the Director (RCH) Medical & Health Services Jaipur from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC/BG bearing No. ....Dt..................................for Rs. ..../- {.....................................} drawn on- ....on Bank toward Bid security.
2. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Policy/Vigilance of CS Deptt./Vigilance and enforcement Deptt,. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state/ Govt. of India.
3. Affidavit stating that the bidder or any of the prtners or repersentaives were never blacklisted the Central Government/ any State Government/any Union Territory/State Agency at time or convicted by Court of Law in a criminal case.
4. Copy of the partnership deed along with permanent and present addresse of the parthers in case of a Firm.
5. Copy of the Registration certificate, if it is firm/Limited Company.
6. Copy of the Registration certificate PAN/Service tax up to date.

I/We herby affirm that the department is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Address:

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.क. सेवाएँ
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-A

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted to ....For Supply of Goods..............................in response to their Notice Inviting Bids No. ....Dated .... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-

Place:-

Signature of the bidder

Name:

Designation:

Address:

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चि.स्वा.एवं प.क. सेवायें
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

ANNEXURE-B

STATEMENT OF PAST SUPPLIES AND PERFORMANCE

We.. (Name of firm) do hereby undertake that we have performed the Supply of I.P camras as per details given below:-

Calendar Year	Order Placed by [full address of purchaser with telephone & Fax no.]	Order No. and Date	Date of Completion of delivery		Remarkes indicating reasons for late delivery, if any	Has the work cantred satisfactory ?
			As per contract	Actual		
1	2	3	4	5	6	7
2013-14						

Note:-

1. It should be submitted with technical Bid.
2. The above information may be verified from relevant documents of bidder.

Date:-
Place:-

Signature of bidder with Seal
Name
Address

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.क. सेवाएं
राज., जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

Annexure-C

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME...

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptace and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Connditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without andy deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartlization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.क. सेवाएँ
राज. जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Medcial Health Family Welfare, Raj- Jaipur

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/ us at the destinations specified by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders Director of Medical & Health (RCH) Jaipur from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within seven (7) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non–fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER
NAME:
ADDRESS:

निदेशक, (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.क. सेवाएँ
राज., जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं

स्वास्थ्य भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–एफ.11(118)/भंडार/आरसीएच /आई पी कैमरा/2015–16/ दिनांक :–

वित्तीय बीड्

1. जिला चिकित्सालय में स्थापित एस.एन.सी.यू. की मॉनीटिरिंग हेतु आई.पी.कैमरे क्रय करने हेतु निविदा :..

   डाक का पूरा पता :..

2. सम्बोधित : निदेशक (आर.सी.एच) चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।

3. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक : .... दिनांक ....

4. क्रय किये जाने वाले सामानों की दरें निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	उपकरण का नाम मय मात्रा एवं दर	Technical Specifications (With reference to BIS Code, Patent, ISO, Agmark, Part No. etc.)		दर प्रति यूनिट (समस्त व्यय एवं कर सहित)	
				अंको में	शब्दों में
1	108 आईपी.कैमरे. 36 रिकॉर्डर एवं अनुमानित 1800 मीटर कैबल का क्रय (तीन आईपी. कैमरे. मय एक रिकॉर्डर एवं अनुमानित 50 मीटर कैबल प्रति यूनिट – 36 यूनिट हेतु)	VGA Video Audio Playback HDD Capacity Image Sensor Lens Mount Minimum Illumination Image Output IR/Distance	1080 P (1920X1080)/960 P 8X(1920X1080),1CHplayback/8X (1280X720) 1Ch RCA output 8CH x 1080 P Upto 4 TB,SATA Interface HDD*1 1.3 Megapixel 1/3" Aptina 130 CMOS 3.6 Megapixel Lens 0.5Lux; 0 lux with IR on Main strem: 1280X960@ 1-25fps sub stream: 640x360@ 1-25 fps 24PCS 5mm IR LEDs/20 mtr		
2	अतिरिक्त कैबल प्रति मीटर आवश्यकता अनुसार।				

नोटः– एस.एन.सी.यू. की मॉनीटिरिंग हेतु कुल 108 कैमरें (36 एस.एन.सी.यू. हेतु प्रति यूनिट 3 कैमरें) क्रय किया जाना है। जिसकी दरें उपरोक्तानुसार उद्रत की जानी है।

निविदादाता के हस्ताक्षर व पता

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकि. स्वा.एवं प.र. सेवाऐं
राज. जयपुर